UPMP040075482026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

Bail Application/1991/2026

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम विकास

दिनांक 13-04-2026

अभियुक्त विकास की ओर से अपराध संख्या 80/ 2026 अन्तर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना करहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा अभियोजन अधिकारी की आख्या व रिमाण्ड प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, किन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त विकास की ओर से अपराध संख्या 80/ 2026 अन्तर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना करहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में **मुव. 25 हजार रूपए** का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.एम.डब्लू.पी(क्रिमिनल) नं. 4 सन 2021 में पारित आदेश दिनांकित 01-02-2023 के अनुपालन में जारी पत्र संख्या 448/ एसएलएसए-06/2021 (Shubh/ haider) दिनांकित फरवरी 13, 2023 के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

दिनांक 13.04.2026

(श्रीमती फ़हरीन ख़ान)
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,मैनपुरी।

आशुतोष कुमार (स्टेनो)